संख्या–2–ई.एम./2009–का–4–2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4, लखनऊः दिनांकः 03 मार्च, 2010

विषयः– सेवा संवर्गों की समस्याओं के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 27.1.2010 के द्वारा निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

(1) विभागीय प्रमुख सचिव/सचिवगण एवं विभागाध्यक्षों आदि के द्वारा सेवा संगठनों की मांगों पर प्रत्येक माह बैठकें आहूत कर, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सेवा संगठनों की मांगों/समस्याओं का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) कर्मचारी संगठनों की मांगों के संबंध में की गयी कार्यवाही से संबंधित प्रगति आख्या मा. मुख्य मंत्री जी की मासिक समीक्षा बैठक में समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु प्रस्तुत की जाय।

(3) ऐसी महत्वपूर्ण एवं गम्भीर मांगें, जिनका विभाग के स्तर से निराकरण सम्भव नहीं है अथवा जिनमें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया जाना/वित्तीय उपाशय निहित है, को विचार विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

2. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.1.2010 के कियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:–

(1) सेवा संगठनों की मांगों पर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिवगण द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक बैठकें आहूत कर मांगों/समस्याओं का निराकरण कराया जाय। जिन मांगों/समस्याओं का निराकरण तत्काल सम्भव न हो, किन्तु विचार विमर्शोपरान्त विभाग के स्तर पर उनका निराकरण सम्भव हो, को विचार विमर्शोपरान्त विभागीय स्तर पर उनका निराकरण सुनिश्चित कराया जाय।

(2) जिन मांगों/समस्याओं का निराकरण विभाग स्तर पर सम्भव न हो, को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्मिक विभाग को संदर्भित कर दिया जाय, ताकि कार्मिक विभाग द्वारा उक्त मांगों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(3) उपर्युक्त से संबंधित सूचना/विवरण कार्यक्रम कियान्वयन विभाग को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि मा. मुख्य मंत्री जी की मासिक समीक्षा बैठक में कृत कार्यवाही की समीक्षा/अनुश्रवण किया जा सके।

3. अनुरोध है कि सेवा संगठनों की मांगों/समस्याओं के संबंध में उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव